भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
26.03.2025 के
तारांकित प्रश्न सं. 371 का उत्तर

आईआरसीटीसी और आईआरएफसी को नवरत्न का दर्जा

***371. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) और भारतीय रेल वित्त निगम (आईआरएफसी) के वित्तीय प्रदर्शन के ब्यौरे क्या हैं जिसके फलस्वरूप उन्हें नवरत्न का दर्जा दिया गया और क्या इससे उनके संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ने की अपेक्षा की जाती है;

(ख) आईआरसीटीसी और आईआरएफसी को नवरत्न का दर्जा दिए जाने से इन संगठनों में कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा, वेतन और कार्य स्थितियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय करने का विचार है कि परिचालन स्वायत्तता में वृद्धि से उनके अधिकारों और कल्याण की सुरक्षा होगी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या आईआरसीटीसी और आईआरएफसी को नवरत्न का दर्जा दिए जाने के बाद उन्हें कोई विशिष्ट शक्तियां और परिचालन स्वायत्तता प्रदान की गई है;

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है कि इन शक्तियों का निजी हितों के लिए दुरुपयोग न हो या इनसे जनता के प्रति जवाबदेही कम न हो; और

(च) क्या सरकार का इस तथ्य के दृष्टिगत कि आईआरसीटीसी और आईआरएफसी का वित्तीय प्रदर्शन शानदार रहा है, इन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और रेलवे के अन्य क्षेत्रों, जिनके समक्ष वित्तपोषण संबंधी महत्वपूर्ण समस्याएं अभी भी विद्यमान हैं, के बीच वित्तीय विकास में असमानता से संबंधित समस्याओं का समाधान करने का विचार है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

दिनांक 26.03.2025 को लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. 371 के भाग (क) से (च) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (च): केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) को वित्त मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय निष्पादन मानकों की समीक्षा के बाद नवरत्न का दर्जा दिया जाता है।

इन वित्तीय निष्पादन मानकों में पिछले तीन वर्षों के संबंध में शुद्ध लाभ से निवल परिसंपत्ति, जनशक्ति की लागत से उत्पादन की कुल लागत अथवा सेवाओं की लागत, मूल्यह्रास, ब्याज और कर पूर्व लाभ (पीबीडीआईटी) से निवेशित पूंजी, ब्याज और कर पूर्व लाभ (पीबीआईटी) से कारोबार, प्रति शेयर आमदनी और अंतर-क्षेत्रीय निष्पादन (शुद्ध लाभ से निवल परिसंपत्ति) शामिल हैं।

आईआरसीटीसी और आईआरएफसी के परिचालन से प्राप्त राजस्व की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) में क्रमशः 17% और 14% की वृद्धि हुई, जबकि पिछले 5 वर्षों में निवल परिसंपत्ति, ब्याज मूल्यह्रास और कर पूर्व आमदनी (ईबीआईडीटीए) तथा करोपरांत लाभ में, चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर में क्रमशः 20% और 10% से अधिक की वृद्धि हुई।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) में सूचीबद्ध होने के बाद, आईआरसीटीसी और आईआरएफसी को विभिन्न नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों, विशेष रूप से, कंपनी अधिनियम 2013, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, और लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत शासित किया जाता है।

ये कंपनियां सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण, आचार संहिता और शक्तियों की अनुसूची (एसओपी) के माध्यम से कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मूल सिद्धांतों का पालन करते हुए अधिशासन के उच्चतम मानक बनाए रखती हैं।

कंपनी में प्रभावी निर्णय लेने के लिए विविध बोर्ड है और बोर्ड की सुसंगठित समितियाँ हैं। बोर्ड और संबंधित समितियों द्वारा अपने निर्णयों पर की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट की नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

ये कंपनियां भी भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के अध्यधीन हैं और सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है।

आईआरसीटीसी और आईआरएफसी को नवरत्न का दर्जा देने से बाजार की धारणा, हितधारकों का विश्वास और सबसे महत्वपूर्ण, कर्मचारियों के मनोबल और अभिप्रेरण में वृद्धि होगी। कर्मचारियों को भत्तों, वेतन वृद्धि, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार कर्मचारी कल्याण योजना शुरू करके बेहतर ढ़ंग से प्रोत्साहित किया जा सकता है। इससे कर्मचारियों को कंपनी के साथ बनाए रखा जा सकेगा और कुशल प्रतिभाशाली जनशक्ति उपलब्ध होगी।

लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों में नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के निदेशक मंडल को संवर्धित स्वायत्तता और शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जिनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:-

(i) भारत या विदेश में वित्तीय संयुक्त उद्यमों और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां स्थापित करने के लिए इक्विटी निवेश की अधिकतम सीमा भारत में 1000 करोड़ रुपये की सीमा तक एक परियोजना में सीपीएसई की निवल परिसंपत्ति का 15% होगी और ऐसे निवेशों पर सभी परियोजनाओं को मिलाकर कुल अधिकतम सीमा सीपीएसई की निवल परिसंपत्ति का 30% होगी।

(ii) कतिपय शर्तों के अध्यधीन विलय और अधिग्रहण के लिए शक्तियाँ।

(iii) बिना किसी मौद्रिक सीमा के नई मदों की खरीद या प्रतिस्थापन पर उपगत पूंजीगत व्यय।

(iv) प्रौद्योगिकीय संयुक्त उद्यम अथवा सामरिक गठबंधन करना,

(v) पदों का सृजन; लाभ केंद्रों की स्थापना सहित संगठनात्मक पुनर्गठन,

(vi) कार्मिक और मानव संसाधन प्रबंधन, प्रशिक्षण आदि से संबंधित योजनाएं तैयार करना और उन्हें कार्यान्वित करना।

(vii) घरेलू पूंजी बाजारों से ऋण जुटाना और दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण लेना।

उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए, इन शक्तियों का प्रयोग लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्धारित शर्तों और दिशानिर्देशों के अध्यधीन है, जो निम्नानुसार हैं:-

i. प्रस्तावों को निदेशक मंडल के समक्ष लिखित रूप में प्रासंगिक कारकों के विश्लेषण और अपेक्षित परिणामों तथा लाभों के मात्रात्मक आंकड़ों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

ii. विशेष रूप से निवेश, व्यय या संगठनात्मक/पूंजीगत पुनर्संरचना से संबंधित प्रस्तावों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने के दौरान सरकारी निदेशक, वित्तीय निदेशक और संबंधित कार्यात्मक निदेशक उपस्थित होने चाहिए।

iii. ऐसे प्रस्तावों पर निर्णय अधिमानतः सर्वसम्मति से लिए जाने चाहिए। यदि किसी महत्वपूर्ण मामले पर कोई निर्णय सर्वसम्मति से नहीं लिया जाता है, तो बहुमत का निर्णय लेते समय कम से कम दो-तिहाई निदेशक उपस्थित होने चाहिए।

iv. सरकार की ओर से कोई वित्तीय सहायता या आकस्मिक देनदारी नहीं होगी।

v. आंतरिक निगरानी के लिए पारदर्शी और प्रभावी प्रणालियां स्थापित करना, जिनमें गैर-सरकारी निदेशकों की सदस्यता वाले बोर्ड की ऑडिट समिति स्थापित करना शामिल है।

2014 से, भारत सरकार द्वारा रेलवे को दी जाने वाली सकल बजटीय सहायता 2013-14 में 29,055 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2025-26 में 2,52,200 करोड़ रुपए अर्थात् 8.6 गुना से अधिक कर दी गई है। इसके परिणामस्वरूप, भारतीय रेल में अवसंरचना का बड़े पैमाने पर विकास हुआ है।

*****